

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
॥ अधिसूचना ॥

पटना-15, दिनांक- २५ /10/2018

सं०-14/प्र० 108/2017-14110 /सा०प्र०-वित्त विभागीय संकल्प सं०-7566, दिनांक-14.07.10 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत संकल्पों/परिपत्रों के आलोक में बिहार प्रशासनिक सेवा के निम्नांकित पदाधिकारियों को बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त "रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना, 2010" के प्रावधानों के तहत उनके नाम के सामने कॉलम-4 में अंकित तिथि से पे-बैंड ₹ 37400- 67,000/-, ग्रेड पे ₹ 8,700/- (अपुनरीक्षित) में तृतीय वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र०सं०	पदाधिकारी का नाम	वर्ष 2008 का कोटि क्रमांक	तृतीय वित्तीय उन्नयन की देय तिथि
1	2	3	4
1.	श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिन्हा,	104	01.01.09
2.	श्री धर्मदेव प्रसाद सिंह,	115	01.01.09
3.	श्री सुनील कुमार सिंह,	126	01.01.09
4.	श्री विजय कुमार सिन्हा	137	13.6.09
5.	श्री रवि नन्दन सहाय	138	19.5.09
6.	श्री श्यामानन्द चौधरी,	140	27.8.09
7.	श्री शाहिद इकबाल खाँ,	141	18.5.09
8.	मो० अंसारुद्दीन,	152	07.5.09
9.	श्री विनय कुमार श्रीवास्तव,	153	21.5.09
10.	मो० सऊद	301	12.5.10
11.	श्री परशुराम राम	306	13.6.10
12.	श्रीमती कमला कुमारी	314	11.6.10
13.	श्रीमती नीलम गुप्ता	315	20.5.10
14.	श्री विजय कुमार सिंह	316B	05.5.10
15.	श्री अहि भूषण पाण्डेय,	321	03.12.09
16.	मो० अमानुल्लाह	377	12.11.09

2. वित्तीय उन्नयन के फलस्वरूप उपर्युक्त पदाधिकारियों का वेतन रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना, 2010 के संसुगत प्रावधानों के आलोक में निर्धारित किया जाएगा।

3. उपर्युक्त किसी भी पदाधिकारी के संबंध में भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि या पार्थक्य पाये जाने पर संबंधित पदाधिकारी को प्रदत्त एम०ए०सी०पी० योजना के तहत दिये गये लाभ से संबंधित आदेश को रद्द/संशोधित कर दिया जाएगा तथा उन्हें भुगतान की गयी राशि की वसूली/प्रतिपूर्ति कर ली जाएगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

वि.उ.सी०
24/11/18

(विमलेश कुमार झा)

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-14/प्रो० 108/2017-14110 /सा०प्र० पटना-15, दिनांक-24/10/2018

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, ई गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ (प्रबंधक, आई०टी०, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से)/महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै० दा० नि० को०) विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/उप मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, बिहार, पटना/मुख्य सचिव के आप्त सचिव, बिहार, पटना/सभी विभाग एवं विभागाध्यक्ष/सभी कोषागार पदाधिकारी/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/प्रबंधक, आई०टी०, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेब-साईट पर अपलोड करने हेतु/सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के सभी पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-2, 8 एवं चारित्री कोषांग, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/सभी संबंधित पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

वि.उ.सी०
24/11/18

सरकार के अपर सचिव।

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

॥ अधिसूचना ॥

पटना-15, दिनांक- २५ /10/2018

सं०-14/प्रो०-101/2018-14111 /सा0प्र0-वित्त विभागीय संकल्प सं०-7566, दिनांक-14.07.10 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य संकल्पों के आलोक में बिहार प्रशासनिक सेवा के निम्नांकित पदाधिकारियों को बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त "रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना, 2010" के प्रावधानों के तहत उनके नाम के सामने कॉलम-4 में अंकित तिथि से पे-बैंड ₹ 15,600-39,100/-, ग्रेड पे ₹ 7,600/-अपुनरीक्षित (पे मैट्रिक्स लेवल-12 पुनरीक्षित) में द्वितीय वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-


क0सं0	पदाधिकारी का नाम	कोटि क्रमांक वर्ष 2011 का	द्वितीय रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन की देय तिथि
1	2	3	4
1.	श्री राम कुमार पोद्दार	900	26.08.17
2.	श्री सुनील कुमार पाण्डेय	901	26.08.17
3.	श्री राजेश परिमल	902	26.08.17
4.	श्री धनंजय कुमार	906	26.08.17
5.	श्री राकेश कुमार	907	26.08.17
6.	श्री संजय कृष्ण	908	26.08.17
7.	श्री गुफरान अहमद	909	31.03.18
8.	श्री मनोज कुमार	910	01.04.18
9.	श्री मृणायक दास	911	26.08.17
10.	श्री मनोरंजन कुमार	912	26.08.17
11.	श्री विकास कुमार	915	02.04.18
12.	श्री गगन	917	16.08.17
13.	श्री आशीष कुमार सिन्हा	918	26.08.17
14.	श्री कुमार देवेन्द्र प्रोज्वल	922	26.08.17
15.	श्री कृष्ण कुमार सिन्हा	924	08.11.17
16.	श्री अंजनी कुमार	925	26.08.17
17.	श्री शाहिद परवेज	927	12.08.17
18.	श्रीमती अनिता सिंह	928	26.08.17
19.	श्री अजय कुमार	931	26.08.17
20.	श्री नजर हुसैन	933	26.08.17
21.	श्री रजनीश कुमार	936	26.08.17
22.	श्री विधु भूषण चौधरी	937	26.08.17

23.	श्री अनिल कुमार	940	26.08.17
24.	श्री शैलेन्द्र नाथ	941	13-08-17
25.	श्री मनोज कुमार	943	26.08.17
26.	श्रीमती मंजु प्रसाद	945	26.08.17

2. वित्तीय उन्नयन के फलस्वरूप पदाधिकारियों का वेतन रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना, 2010 के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में निर्धारित किया जायेगा।

3. उपर्युक्त किसी भी पदाधिकारी के संबंध में भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि या पार्थक्य पाये जाने पर संबंधित पदाधिकारी को प्रदत्त एम०ए०सी०पी० योजना के लाभ से संबंधित आदेश को रद्द/संशोधित कर दिया जाएगा तथा उन्हें भुगतान की गयी राशि की वसूली/प्रतिपूर्ति कर ली जाएगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


24/10/18


(विमलेश कुमार झा)

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-14/प्रो०-101/2018-1411 /सा०प्र० पटना-15, दिनांक-24 /10/2018

प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ (प्रबंधक, आई०टी०, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से)/महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै० दा० नि० को०) विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/उप मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, बिहार, पटना/मुख्य सचिव के आप्त सचिव, बिहार, पटना/सभी विभाग एवं विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी कोषांगार पदाधिकारी/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/सभी संबंधित पदाधिकारी/प्रबंधक, आई० टी०, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/सामान्य प्रशासन विभाग के सभी पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-2, 8 एवं चारित्री कोषांग, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. महालेखाकार, बिहार/वित्त (वै० दा० नि० को०) विभाग, बिहार, पटना से अनुरोध है कि वित्त विभाग के संकल्प सं०-7566, दिनांक-14.07.10 के अन्तर्गत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार जाँच कर यथानुमान्य वेतनपुर्जा निर्गत किया जाय।


24/10/18

सरकार के अपर सचिव।